us'kuylhMldkWjiksjs'kufyfeVsM ¼Hkkjr ljdkjdkmiØey?kqjRu daiuh½ "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **dsUnzh; jkT; QkeZ] lwjrx<+** ftykJhxaxkuxj ¼jkt-½ Qksu% 01509&223873 bZ&esy %ago.csfsuratgarh@gmail.com		NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar

क्र.स.सीएसएफ / 2–10 / फोडर / 2019–20 / दिनॉक: 30.03.2019

अल्पकालीननिविदा–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में रबी 2018–19 में बोई गई जौ,गेहॅू व जई (1439.0 एकड़)की फसलों की कटाई के बाद तूडी (भूसा) बनाने हेतु खुली बोली व मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 06.04.2019 को अपरान्ह 1:00 बजे तक आंमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 2:30 बजे फार्म मुख्यालय पर खोली जायेगी । निविदाएं देने से पहले रूपये 10,118.00 (दस हजार एक सौ अठारह) मात्र प्रत्येक चक के लिए अमानत राशि का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ** के नाम देय हो, जमा करानी होगी। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है और दिनॉक 05.04.2019 तक को सायं 5.00 बजे प्राप्त किये जा सकते ।

प्रबन्धक (उत्पादन)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	01.04.2019
Tender Document Download Start Date/time Tender Document Download End Date/time	01-04-2019 9.30 AM 06-04-2019 12.00 Noon
Date and time for submission strat offline bid Date and time for submission End offline bid	01-04-2019 9.30 AM 06-04-2019 1.00 PM
Tender Fee(To be deposited ofline)	Rs 118.00 (Rs. Two hundred only)
EMD (To be deposited of line)	Rs 10,000.00 (Each Chaks)
Address for Communication	DGM (Farm) Central State Farm, Suratgarh National Seeds Corporation Ltd- 335804
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Gajanand Singh Manager (P) 8239107997 e-mail ID ago.csfsuratgarh@gmail.com

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

फार्म क्षेत्र में तूड़ी (फोडर) बनाने के लिए नियम व शर्ते

1. निविदा/खुलीबोली में भाग लेने के लिए इस कार्यालय में धरोहर राशि रू0 10118 (रू–दस हजार एक सौ अठारह मात्र) प्रत्येक चक के लिए डी– डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ** के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा करवाने होगें। एक से ज्यादा चक लेने पर प्रत्येक चक की रू0 10000/– अलग से जमा कराने होगें। तभी निविदा प्रपत्र/खुलीबोली मान्य होगे। धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। खरीदे गये क्षेत्र की 25 प्रतिशत रकम उसी दिन जमा करानी होगी। यदि 25 प्रतिशत रकम जमा नहीं की तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । ठेकेदार को पेन नम्बर, वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है।
2. जौ,गेंहू व जई की तूडी बनाने के लिए कार्य शुरू करने से पहले खरीदे गये क्षेत्र की सम्पूर्ण रकम जमा करानी होगी।
3. थ्रेसर, मजदूर, ट्रैक्टर–ट्राली आदि सभी की ब्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।
4. तूड़ी बनाने के समय गेहूं, जौ व जई का दाना (अनाज) निकलेगा वह फार्म में जमा कराना होगा।
5. तूड़ी की ट्राली/ट्रक को बाहर ले जाने से पहले संबंधित चक ईन्चार्ज से गेट पास लेना होगा।
6. ठेकेदार स्वयं गेटपास पर हस्ताक्षर करे अथवा अपने व्यक्ति को अधिकार पत्र दे जो कि गेट पास पर हस्ताक्षर करे।
7. तूड़ी बनाने का कार्य सील्ला चुगाई करने के बाद ही शुरू करना होगा तथा चक ईन्चार्ज के बताने पर ही कार्य शुरू करना होगा।
8. तूड़ी बनाने व ले जाने का कार्य सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 तक करना होगा। तूड़ी बनाने का समय कटाई के 15 दिन बाद तक का होगा।
9. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।
10. कार्य करने के दौरान यदि ठेकेदार द्वारा फार्म की अन्य सम्पत्ति का कोई नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी तथा तूड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तूड़ी लेने वाले ठेकेदार की होगी। यदि प्राकृतिक आपदा से तूड़ी में नुकसान हुआ तो फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
11. तूड़ी बनाते समय या ले जाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
12. यदि कोई ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व 25 प्रतिशत रकम जब्त करली जायेगी ।

13 यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दषा में प्रकरण निगम के सह प्रबन्ध निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दषा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

14 सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

15 आर्बीटेशन एवं कॉनसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार सूरतगढ़ से सम्बन्धित होगा ।

निदेशक,

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

रबी 2018–19 में बोये गये फार्म क्षेत्र में गेहूँ, जौ, जई की कटाई के बाद तूड़ी (फोडर) बनाने के लिए टेण्डर

ब्लॉक नं0	चक नं0	तूड़ी बनाने का क्षेत्र एकड़ में			दर प्रति एकड़ रूपयों में जो फार्म में जमा कराना है।		
		गेहूं	जौ	जई	गेहूं	जौ	जई
एक	35 एसटीजी	56.00	0.00	42.00			
	37 एसटीजी	14.00	0.00	14.00			
	38 एसटीजी	86.50	47.00	33.00			
	40 एसटीजी	56.00	71.00	28.00			
	42 एसटीजी	10.50	128.00	14.00			
	44 एसटीजी	0.00	59.00	0.00			
	बीआरपी.1	14.00	0.00	0.00			
योग :–		**237.00**	**305.00**	**131.00**			
दो	31 ए पीबीएन	12.00	91.00	48.00			
	31 बी पीबीएन	0.00	40.00	0.00			
	आरपीएम 1	0.00	0.00	72.00			
	आरपीएम 2	0.00	43.00	41.00			
	आरपीएम 3	0.00	0.00	20.00			
योग :–		**12.00**	**174.00**	**181.00**			
तीन	3 एसजीएम	0.00	0.00	27.00			
	4 एसजीएम	0.00	56.00	25.00			
	5 एसजीएम	0.00	0.00	76.00			
	34 पीबीएन	128.00	87.00	0.00			
योग :–		**128.00**	**143.00**	**128.00**			

हस्ताक्षर ....

नाम व पता..

....

मोबाईल नं0 ....